न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0 27/2025 | तारीख दायरा 30.01.2025 | तारीख फैसला 5-8-2025

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— राजू उर्फ राजेन्द्र आत्मज भैरूलाल उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापती) निवासी नीमोदा तहसील दीगोद हाल नि० सुतडा तह० तालेडा जिला बुन्दी राज०

(वादीगण)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— यह कि ग्राम औंकररपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता स० 92 नया 91 पुराना की खसरा न० 265/314 रकबा 0.22 है० कुल 1 किता की 0.22 है0 ग्राम औंकारपुरा की खाता न० 168 की ख0न0 192 रकबा 1.77 है० कुल 1 किता की 1.77 है0 ग्राम ओंकारपुरा की खाता न० 91 की ख0न0 197/296 रकबा 0.32 है० कुल 1 किता की 0.32 है० भूमि स्थित चली आ रही है जिसमे वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2073 2076 सलंग्न है

2— यह की उक्त आराजी में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम राजु पुत्र भेरूलाल है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान केडीड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3— यह कि उक्त वादी का नाम आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि में वादी का नाम राजु आत्मज भैरूलाल है। वादी की नाम ग्राम औकारपुरा के तीनो खातो की जमाबन्दी में राजेन्द्र पुत्र भेरू दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिऐ किसान केडीड कार्ड लेने से वन्चित हो रहा है। वादी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा ग्राम औंकारपुरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजु पुत्र भेरूलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भेरू दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजु पुत्र भेरूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 12.01.2025 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही किया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5— यह कि वाद कारण दिनांक 12.01.2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोकत भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नही करने की कहने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः

1— कि ग्राम ऑकररपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता स० 92 नया 91 पुराना की खसरा न0 265/314 रकबा 0 22 है० कुल 1 किता की 0.22 है० ग्राम औंकारपुरा की खाता न० 168 की ख0न0 192 रकबा 1.77 है० कुल 1 किता की 1.77 है0 ग्राम औंकारपुरा की खाता न0 91 की ख0न0 197/296 रकबा 0.32 है० कुल 1 किता की 0.32 है० भूमि स्थित चली आ रही है जिसमे वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू दर्ज है। वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू के स्थान पर राजु पुत्र भेरूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2— कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमगल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

3— कि अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः—

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073—2076 ग्राम औंकारपुरा खाता सं0नया 92
2. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073—2076 ग्राम औंकारपुरा खाता सं0नया 168
3. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073—2076 ग्राम औंकारपुरा खाता सं0नया 91
4. नकल फोटोप्रति आधार कार्ड
5. नकल फोटो प्रति जनधारा कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया।प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में स्वयं वादी राजु उर्फ राजेन्द्र आत्मज भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हंम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भेरू उर्फ राजू पुत्र भैरूलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम ऑकररपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता स० 92 नया 91 पुराना की खसरा न0 265/314 रकबा 0 22 है० कुल 1 किता की 0.22 है० ग्राम औंकारपुरा की खाता न० 168 की ख0न0 192 रकबा 1.77 है० कुल 1 किता की 1.77 है0 ग्राम औंकारपुरा की खाता न0 91 की ख0न0 197/296 रकबा 0.32 है० कुल 1 किता की 0.32 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भेरू उर्फ राजू पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— राजू उर्फ राजेन्द्र आत्मज भैरूलाल उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापती) निवासी नीमोदा तहसील दीगोद हाल नि० सुतडा तह० तालेडा जिला बुन्दी राज०

(वादीगण)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल न0 27/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि — वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम ग्राम ऑकररपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता स० 92 नया 91 पुराना की खसरा न0 265/314 रकबा 0 22 है० कुल 1 किता की 0.22 है० ग्राम औंकारपुरा की खाता न० 168 की ख0न0 192 रकबा 1.77 है० कुल 1 किता की 1.77 है0 ग्राम औंकारपुरा की खाता न0 91 की ख0न0 197/296 रकबा 0.32 है० कुल 1 किता की 0.32 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र भेरू के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र भेरू उर्फ राजू पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 5/8/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)